रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 351] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 22, 1982/अग्रहायण 1, 1904
No. 351] NEW DELHI, MONDAY, NOV. 22, 1982/AGRAHAYANA 1, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1982

सं० 257/82-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 715(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 44 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 146/82-सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 6 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4
"6.	56	शीर्ष सं० 56.01/04 के अन्तर्गत आने वाला एक्रिलिक फाइबर	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का पच्चीस प्रतिशत ।"

[फा० सं० 354/3/82-टीआरयू]
जिनेन्द्र कुमार बत्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 1982

No. 257/82-CUSTOMS

G.S.R. 715(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 44 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 146/82-Customs, dated the 11th May, 1982, namely:—

In the Table annexed to the said notification, for Sl. No. 6 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4
"6.	56	Acrylic fibre falling under Heading No. 56.01/04	Twenty-five per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962)."

[F. No. 354/3/82-TRU]
J.K. BATRA under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982